हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

पंचम सत्र

<u>समाचार भाग-1</u>

संख्याः 37

बुधवार, 6 फरवरी, 2019/17 माघ, 1940(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

समयः 11.00 बजे (पूर्वाह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, डॉ0 राजीव बिन्दल की अध्यक्षता में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

1. प्रश्नोत्तर

(I) तारांकित प्रश्नः

तारांकित प्रश्न संख्याः 898 (स्थगित) तथा तारांकित प्रश्न संख्याः 1145 से 1147 तक के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्रियों द्वारा उत्तर दिए गए। **प्रश्न संख्याः 1147 के अनुपूरक प्रश्नों पर मुख्य मंत्री के हस्तक्षेप एवं स्पष्टीकरण के बीच कांग्रेस विधायक दल के सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर नारेबाज़ी करने लगे। प्रत्युत्तर में सत्तापक्ष के सदस्य भी नारेबाज़ी करने लगे।** तारांकित प्रश्न संख्याः 1148 से 1193 तक के उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गए।

(II) अतारांकित प्रश्नः

अतारांकित प्रश्न संख्याः 288 से 304 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. सदन की समितियों के प्रतिवेदन

श्री राकेश पठानिया, सभापति, लोक उपक्रम समिति ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपःस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीः-

(1) समिति के 35वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 63वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2016-17) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम सीमित से सम्बन्धित है; और

(2) समिति के 57वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2015-16) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 5वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2017-18) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित से सम्बन्धित है।

<u>शिक्षा मंत्री द्वारा स्पष्टीकरण</u>

माननीय शिक्षा मंत्री ने न्यू मॉडल डिग्री कॉलेज, लिल्ह कोठी, भरमौर, जिला चम्बा के ऑन लाइन शिलान्यास के विषय में श्री मुकेश अग्निहोत्री, नेता विपक्ष द्वारा दिनांक 04.02.2019 को उठाए गए विषय पर स्पष्टीकरण दिया।

श्री मुकेश अग्निहोत्री ने अपना पक्ष रखते हुए पुनः प्रतिक्रिया व्यक्त की।

श्री जिया लाल ने भी इस विषय में अपना पक्ष रखा।

माननीय शिक्षा मंत्री ने स्पष्टीकरण दिया।

श्री मुकेश अग्निहोत्री की पुनः प्रतिक्रिया पर **माननीय मुख्य मंत्री** ने भी मामले को और स्पष्ट दिया।

3. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा

निम्नलिखित ने धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा में भाग लियाः-

1. श्री सुख राम
2. श्री मोहन लाल ब्राक्टा

01.05 बजे अपराह्न सदन की बैठक भोजनावकाश के लिए 2.00 बजे अपराह्न तक स्थगित हुई।

भोजनावकाश के उपरान्त 02.05 बजे अपराह्न सदन की बैठक माननीय उपाध्यक्ष श्री हंस राज की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।

श्री विनोद कुमार ने श्री मोहन लाल ब्राक्टा द्वारा रोहड़ू विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में सरकार द्वारा विकास कार्य न किए जाने का उल्लेख करने पर इस मामले को व्यवस्था के प्रश्न के अन्तर्गत उठाने का प्रयास किया जिसे माननीय उपाध्यक्ष ने अस्वीकार किया।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी -

3. श्री परमजीत सिंह
4. श्री आशीष बुटेल
5. श्री सुरेन्द्र शौरी

श्री मुकेश अग्निहोत्री ने श्री सुरेन्द्र शौरी व श्री विनोद कुमार सदस्यों द्वारा विशेष प्रतीक चिन्ह का परिधान पहन कर सदन में आने का विषय उठाते हुए कहा की यह प्रथा इस माननीय सदन की गारिमा के विरुद्ध बताया एवं इस बारे में व्यवस्था देने का अनुरोध किया।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी -

6. श्रीमती आशा कुमारी

(02.55 बजे अपराह्न माननीय अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।)

7. श्री राकेश जम्बाल

श्री मुकेश अग्निहोत्री, नेता प्रतिपक्ष ने सदन में चर्चा के दौरान अधिकारी दीर्घा में किसी भी अधिकारी के न बैठे होने का विषय उठाया।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि सदस्यों द्वारा अपनी चर्चा में उठाए गए विषयों को संबंधित विभागों से आए अधिकारियों द्वारा नोट किया जा रहा है।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी -

8. श्री राजेन्द्र राणा
9. श्री सुरेश कुमार कश्यप
10. श्रीमती कमलेश कुमारी
11. श्री लखविन्द्र सिंह राणा
12. श्री बलबीर सिंह वर्मा

05.00 बजे अपराह्न सदन की बैठक का समय 45 मिनट के लिए बढ़ाया गया।

अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था देते हुए निम्नलिखित निर्देश दिए -

1. सदस्यों द्वारा पढ़ करके भाषण देने की परंपरा सही नहीं है। नए सदस्यों को हम कई बार अनुमति दे भी देते हैं परन्तु सदस्य इस विषय में सुधार करने की कोशिश करें।
2. नियमावली में बड़ा स्पष्ट है कि हम कोई भी ऐसी चीज़ लेकर सदन में नहीं आएंगे जिसके ऊपर कोई प्रतीक चिन्ह (emblem) लगा हो या विशेष संदेश हो। माननीय दोनों सदस्यों से मेरा निवेदन है कि वे इन नियमों को ध्यान में रखेंगे।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी -

13. श्री राजिन्द्र गर्ग
14. श्री राजेश ठाकुर

05.35 बजे अपराह्न सदन की बैठक वीरवार 7 फरवरी, 2019 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित हुई ।